स्मरण–पत्र

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए/उवसं/2020–21/ 4925 दिनांक :– 27/07/2021

निमित्त,

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ब्यावर।

विषयः– वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21362/2016 Area 1.2401 ha. एवं FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. ब्यावर–मसूदा–गोयला एवं अरॉई–सरवाड विकास कार्य के बदले ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं. 1226 रकबा 17.434 हैक्टर मे 6.25 हैक्टर के निरीक्षण बावत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 4618 दिनांक 16.07.21 के क्रम मे।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे आपको वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण सख्या FP/RJ/ROAD/21362/2016 Area 1.2401 ha. एवं FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha. ब्यावर–मसूदा–गोयला एवं अरॉई–सरवाड विकास कार्य के बदले ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं. 1226 रकबा 17.434 हैक्टर मे 6.25 हैक्टर गैर वन भूमि वन विभाग के नाम आरक्षित क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था कि **प्रस्तावित गैर वन भूमि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही है। भूमि वन प्रबन्धन के लिए एवं वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।** उक्त टिप्पणी सहित प्रमाण पत्र आपके स्तर पर लम्बित है। प्रकरणो मे लौटती डाक से टिप्पणी मय प्रमाण पत्र दोनो प्रकरणो का पृथक–पृथक पत्र प्रति मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही यदि उक्त स्थान वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्त पाया जाता है तो उक्त स्थान पर गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण CA-NFL, हेतु दो पृथक–पृथक प्राक्कलन 4.9696 है0 एवं 1.2401 है0 के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार कर पांच प्रति मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र एवं सम्पूर्ण रूट जो आपके क्षेत्राधिकार मे आता हो कि पूर्ण रिपोर्ट मय प्रस्तावित सड़क मे आने वाले वन क्षेत्र के क्षेत्रफल की पुष्टि करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट लौटती डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। इसे अति आवश्यक समझे।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए/उवसं/2020–21/ 4926–29 दिनांक :– 27/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कार्यालय के पत्रांक 4619–22 दिनांक 16.07.21 के क्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.) सा.नि.वि. अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित क्षेत्र जहां गैर वन भूमि वन विभाग के नाम आरक्षित की गई है कि मौका रिपोर्ट संबधित क्षेत्रीय वन अधिकारी, ब्यावर से सम्पर्क कर कराया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके आवेदित क्षेत्र मे संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्यावर/सरवाड़/नसीराबाद/किशनढ़ के क्षेत्राधिकार मे आने वाले सम्पूर्ण रूट का मौका निरीक्षण कराने हेतु समन्वय स्थापित करते हुए रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करावे। साथ ही आपके दोनो प्रस्तावित रूट की एक–एक सम्पर्ण पत्रावली प्रति भी संबंधित क्षेत्रिय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरवाड को प्रेषित कर लेख है कि ब्यावर–मसूदा–गोयला एवं अरॉई–सरवाड सडक का सम्पर्ण रूट का निरीक्षण करते हुए आपके क्षेत्राधिकार मे प्रस्तावित रूट मे आने वाली वन भूमि एवं वृक्षारोपण की रिपोर्ट स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, नसीराबाद को प्रेषित कर लेख है कि ब्यावर–मसूदा–गोयला एवं अरॉई–सरवाड सड़क का सम्पर्ण रूट का निरीक्षण करते हुए आपके क्षेत्राधिकार मे प्रस्तावित रूट मे आने वाली वन भूमि एवं वृक्षारोपण की रिपोर्ट स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि ब्यावर–मसूदा–गोयला एवं अरॉई–सरवाड सड़क का सम्पर्ण रूट का निरीक्षण करते हुए आपके क्षेत्राधिकार मे प्रस्तावित रूट मे आने वाली वन भूमि एवं वृक्षारोपण की रिपोर्ट स्पष्ट टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
अजमेर